


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

| क्र | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | |
|-----|---|---|
| | <p>20/2021</p> <p>मीमान जी,</p> <p>गार्षीना पत्र क्र. धा. 111 व 128 मू. राज. फिदिम बी. धारा 1956 के तहत पेश है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कोर्ट पीस - चम्पा है। 2. सेनाधिकार मे है। 3. सूची अनुसार दस्तावेजात पूर्ण है। <p>अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ उचित है।</p> <p>SDOSK 20/4/2021</p> <p>दर्ज हट जाये समत तलब के।</p> | |
| | <p>20/4/2021</p> <p>गार्षी मय वकील उपो गार्षीना पत्र दर्ज रीजिस्टर किया जावे। अगार्षीगत को जसिये नोटिस तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 13/5/2021 को पेश है।</p> | |
| 13 | <p>5 वकूलाब फरीकेन उपस्थित अधिवक्ता ^{नेशनल} 21 ने कर्ब स्थगन किया हुआ है। पूर्व स्थगन पालना में दि. 03.09.21 को पेश होवे।</p> | |
| 30 | <p>21 गार्षी वकील उपो गार्षी वकील ने MAD रजिस्ट्र पेश की (शामिल पत्रावली) किया गया। वाले इन्चार् तलब पत्रा. दिनांक 20/8/21 को पेश हो।</p> | |
| 24 | <p>8/21 दिनांक 20.8.21 से 23.8.21 तक राज. उपखण्ड दोने कारण पत्रा. आजदि को पेश हुई। वाले उक्तायात मुफ्त पत्रावली कि 13.9.21 को पेश हो।</p> |  |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

| दिनांक | हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|----------------------------------|--|
| 13 ⁹ / ₂₁ | <p>प्राथमिक कार्यवाही उप० (अप्राथमिक) एं. 1 मंगल 12 को नालीन जारी की RAO से चुकी है RAO समक्ष पत्रावली उप० वावजूद सुचना उपस्थित नहीं उपस्थित करने से नालीन एं. 20 परसेप को जारी की जा रही जवाब सरकार पत्रावली दिनांक 21.9.21 को पेश हो।</p> |
| 21 ⁹ / ₂₁ | <p>प्राथमिक कार्यवाही/वादा/उपस्थित पत्रावली अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दिनांक 21.9.21 को पेश हो।</p> |
| 24 ⁹ / ₂₁ | <p>प्राथमिक कार्यवाही/वादा/उपस्थित पत्रावली अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दिनांक 20.9.21 को पेश हो।</p> |
| 30 ⁹ / ₂₁ | <p>वकुलाय फरीकेन उप०/श्रीमान P.O. सहब रीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 11.10.21 को उनके समक्ष पेश हो।</p> |
| 11 ¹⁰ / ₂₁ | <p>वकुलाय फरीकेन उप०/श्रीमान P.O. सहब रीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 8/11/21 को उनके समक्ष पेश हो।</p> |
| 13/11/21 | <p>पत्रावली आज दिनांक 13/11/21 को प्रशासन ऑफिस के संग अभियान - 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिगाँवा में पेश हुए अप्राथमिक की पूर्व में ही Expunged हो चुकी है फिर भी न्यायहित में पूर्व में ही PGKS-2021 में उपस्थित होने हेतु तामील कराई गई। वावजूद सूचना अप्राथमिक अनुपस्थित रहे। जवाब सरकार प्राप्त किया गया। जवाब सरकार राज्य सरकार का न्यायिक अधिकार में</p> |

इश्वर सिंह बनाम छुगन सिंह
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

क

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अधिकारी की बहस खुली गयी। प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 374/0.9863 है। वके ग्राम जौनात, पटवार हल्का-जौनात, तहसील कोटकासिम जो कि प्रार्थीगण की कृष्णा काशत की खातेदारी आराजी है। विवादित आराजी से लगती हुई आराजी खसरा नम्बर 372 & 373 अप्रार्थीगण की आराजी है जो आये रोज प्रार्थीगण की डोल को मिसमार करते रहते हैं इससे 0.25 अक्षर प्रार्थीगण ने तहसीलदार कोटकासिम को तीमाज्ञान का प्रार्थनापत्र पेश किया। जिल पर डिनॉठ 31/1/2010 पैमाइश की जिलकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। मुताबिक पैमाइश अप्रार्थीगण पैमाइश नहीं करने दे रहा है। भतः निवेदन है कि मुताबिक पैमाइश पत्थर गही कराई जावे।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का एवं प्रार्थी की बहस पर गौर किया। संलग्न मौका पर्चा डिनॉठ 31/1/2010 का अपलोडन कले से जाहिर हुआ कि मौका पर्चा पर तहसीलदार कोटकासिम के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसलिए पुनः पैमाइश किया जाऊत पत्थर गही कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

भतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि से लगती हुई भूमि के समस्त काशतकारों को नोटिस जारी करते हुए एवं समझाईश कर मौके पर उपस्थित रह कर पुनः पैमाइश कर विवादित आराजी की पत्थर गही कराई जावे। तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी है। पत्रावली कुल शुमार घेकर नम्बर से कम हो तथा तहसील लेख भण्डार हो।
पैसला मुले दज्जाल (कैम्प) सुनाया गया